

## FORM III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत .....

मुकाम .....

बनाम .....

मुकदमा .....

नं. ....

सन् .....

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/2/2021	<p>पञ्जावली भाज वाले निर्णय पेश (हुकी) वकील वादी उपर) पञ्जावली में कस पूर्व में सुनी जा हुकी है। वकील वादी की कस पर मनन किया गया एवं पञ्जावली में उपलब्ध रिपोर्ट के दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादीगण ने 1/5 हिस्से की घोषणा का अनुलोष चाहा है। इस 1/5 हिस्से के वर्तमान जमाबन्दी अनुसार रिपोर्ट्स स्वातेदारान को वाद पत्र में पक्षकार कावपूर हिदायत भी नहीं बनाया है जबकि वर्तमान स्वातेदार विचाराधीन वाद में आवश्यक पक्षकार हैं जिनका पक्ष सुने बिना वादीगण को कोई अनुलोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होगा है।</p>	



.. लगाता

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नंबर व  
अहकाम  
की तामील

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार  
पर वाद वादीगण साबित नही होने  
से नकारिज कर निर्णित किया जाता  
है। पत्रावली फेसल शुमार होकर  
नम्बर से कम होकर दफ्तर  
दारकिल हो।

निर्णय से इजलास रुनाया

गया।

२५/०५/२०२५  
(बृजेश कुमार)

उपरवत्त अधिकारी  
नीमकावाना